न्यायालय उप जिलाधिकारी हापुड, जिला–गाजियाबाद।

वाद संख्या 44/2010 धारा– 143 जंमीदारी विनाश अधिनियम

ग्राम– जंरोठी, परगना व तहसील–हापुड, जिला–गाजियाबाद।

इन्द्रप्रस्थ इन्सटीटयूट आफॅ ऐजूकेशन एण्ड मेनजमैन्ट बनाम सरकार

::–निर्णय–::

इस वाद की कार्यवाही इन्द्रप्रस्थ इंस्टीटयूट आफॅ ऐजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट हापुड द्वारा सचिव श्री दीपक बाबू पुत्र चन्द्र गुप्त वाष्णेय निवासी 689 हरी कमल अशोक मार्ग श्रीनगर हापुड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03–5–2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि खाता संख्या 3 के खसरा संख्या 128 रकबा 0.697है0 लगानी 40–55पैसे में से 0.098है0 भूमि जिसके पूर्व में वास्ता 20 फुट चौडा भुजा 22–23 फुट, पश्चिम भूमि यशपाल कौर व बिजेन्द्र भुजा 28 फुट उत्तर हाल भूमि प्रार्थी उत्तर शेष्ह भूमि खसरा संख्या 128 भुजा 407–25फुट दक्षिण चकरोड 8–25फुट चौडी भुजा 307.25 फुट है एवं भूमि खसरा संख्या 48 खसरा संख्या 180 रकबा 0.283है0 स्थित ग्राम जरौठी, परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद का मालिक व काबिज है। प्रार्थी ने सस्था ने उक्त भूमि को अपने कालिज के वास्ते शिक्षण संस्थान चलाने के लिए कालिज उपयोग के वास्ते खरीद की थी और इस वक्त उस भूमि अपने कालिज के मैदान एवं रास्तें के रूप में प्रयोग की जा रही है। वर्तमान मतें उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को को शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जावे तथा लगान माफ कर राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किया जाने की प्रार्थना की है।

उक्त सन्दर्भ में तहसीलदार हापुड ने अपनी आख्या दिनांक 27–9–2010 में अवगत कराया है कि ग्राम जरौठी, परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 128मि0 रकबा 0.098है0 व खसरा संख्या 150/1 रकबा 0.283है0 में वर्तमान में कृषि कार्य, कुटकुट पालन, मुर्गी, मत्यपालन नही हो रहा है। उक्त भूमि की चारदीवारी हो रही है। उक्त भूमि को अकृषिक उपयोग में लायी जा रही है। अतः उक्त खसरा नम्बरान को अकृषिक किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु इस न्यायालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी है।

शासनादेश संख्या 8164/5–49 ए/03 दि0 28.1.2004 में यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृशि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचन हो रही है। अतः राजकीय हित में इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किये जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार हापुड की आख्या दिनांक 27–9–2010 में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाने हेतु संस्तुति की है। ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुची हूँ कि उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नही है।

::–आदेश–::

स्थित ग्राम जरौठी, परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 128मि0 रकबा 0.098है0 व खसरा संख्या 150/1 रकबा 0.283है0 भूमि को तहसीलदार हापुड की उक्त आख्या के आधार पर एवं शासनादेश के कम में स्टाम्प अपवंचन रोकने के उददेश्य से धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड को राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु तथा एक प्रति उप निबन्धक हापुड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। अतः वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण कार्य हा0पि0वि0प्रा0/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 11/11/10

(पुष्पा देवरा)
उप जिलाधिकारी हापुड,
जिला–गाजियाबाद।

TRUE COPY
Reader
S.D.O./S.D.M.
HAPUR

न्यायालय परगनाधिकारी हापुड (गाजियाबाद)
वाद संख्या 9 अ0धा0 143 ज0वि0अधि0
इन्द्रप्रस्थ इन्स्टीटयूट ऑफ एजेकेशन एन्ड मैनेजमेन्ट द्वारा दीपक बाबू पुत्र श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय निवासी तजीरगॅज बदायूँ, सचिव उक्त इन्सटीटयूट

बनाम

सरकार

ग्राम- जरौठी तहसील हापुड

फैसला निर्णय 12-3-04

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही इन्द्रप्रस्थ इन्स्टीटयूट ऑफ एजुकेशन एन्ड मैनेजमेन्ट द्वारा श्री दीपक बाबू पुत्र श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय निवासी चन्द्रगुप्त एन्ड ब्रदर्स तजीरगॅज बदायूँ सैक्रेटरी उक्त इन्स्टीटयूट के वादपत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादी द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेख किया गया कि ग्राम जरौठी स्थित ब0नॅ0 150 व 128 कुल रकबा 1.969 हे0 का मालिक काबिज हूँ। खसरा नॅम्बर 150 रकबा 1.272 हे0 भूमि औद्योगिक प्रयोजन में लायी जा रही है अत: अकृषक घोषित किया जाये। उक्त की जांच क्षेत्रीय लेखपाल से करायी गयी।लेखपाल द्वारा अपनी आख्या में प्रश्नगत रकबे पर आलू की फसल होना अंकित किया है ।

नियमानुसार वाद को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा गया ।

इस प्रकरण में मेरे द्वारा वादी से संस्था से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को तलब किया गया जो वादी द्वारा दाखिल किये गये । दिनांक 1-3-2004 को वादी ने न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराते हुए अंकित कराया कि वह उक्त संस्था को जुलाई 2003 से सचिव है तथा संस्था के पूर्ण कार्य वही देखता है । ग्राम जरौठी स्थित भूमिग0सं0 150 रकबा 0.9893हे0 पर स्थापित है । इस ग0सं0 पर वर्तमान में कोई खेती कार्य नहीं किया जा रहा है । प्रार्थी उस पर अपनी आबादी घोषित कराना चाहता है ।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया । पत्रावलीपर उपलब्ध अभिलेखों को देखा। मेरे द्वारा स्वयं प्रश्नगत भूमि का स्थल पर निरीक्षण किया गया है ।स्थल पर प्रश्नगत भूमि की चार दीवारी बनी हुई है मौके पर निरीक्षण के समय निर्माण कार्य चल रहा था। प्रश्नगत भूमि पर कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य नहीं हो रहा है । चूंकि प्रश्नगत भूमि मौके पर अकृषक रूप में प्रयोग की जा रही है । इसलिये मैं,इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

आदेश

ग्राम जरौठी स्थित भूमि ग0सं0 150 रकबा 1.272हे0 में से 0.989हे0 को अकृषक क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति

...2पर

माल अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु रजिस्ट्रार कानूनगो को तथा एक प्रति उप-निबंधक हापुड़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही करेगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 12-3-2004

12.3.04
(राजेश कुमार)
परगनाधिकारी,
हापुड़।

4/7-2004
तिथि [illegible] 12-3-04
तिथि [illegible] 12-3-04
तिथि प्रतिलिपि दी जाने को 12-3-04
[illegible]

TRUE COPY
Reader
S.D.O./S.D.M
HAPUR

बनाने वाले के ह०
मुकाबला करने वाले के ह०